183 23 केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे वाले कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षक – 01.01.2007 से वेतनमानों को संशोधित करना

केंद्रीय क्षेत्र के लोक उद्यमों में बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे वाले कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतनमानों में पिछली बार 01.01.1997 से 10 वर्ष की अवधि के लिए संशोधन किया गया था। चूंकि अगला वेतन संशोधन 01.01.2007 से देय हो गया है, अतः सरकार ने न्यायाधीश एम जगन्नाधा राव (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) की अध्यक्षता में दूसरी वेतन संशोधन समिति (2nd पीआरसी) गठित की थी, जो आईडीए पैटर्न पर वेतनमानों का अनुपालन करने वाले कर्मचारियों की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए वेतन और भत्ते संशोधित करने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी। सरकार ने दूसरी वेतन संशोधन समिति की सिफारिशों पर अपेक्षित विचार करने के पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:

1. संशोधित वेतनमान : बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे वाले कार्यपालकों के लिए संशोधित वेतनमान अनुबंध 1 में दर्शाए अनुसार होंगे ।

2. फिटमेंट लाभ :

(i) सभी कार्यपालकों को 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार मूल वेतन और 68.8% की दर से महंगाई भत्ते (डीए) पर 30% की दर से एक समान फिटमेंट लाभ दिया जाएगा। एकीकृत राशि को अगले 10 रुपए के रूप में राउंड ऑफ किया जाएगा और संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाएगा।

(ii) यदि कार्यपालकों/गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के संदर्भ में भूतलक्षी प्रभाव से कोई असाधारण वेतन वृद्धि (वेतन वृद्धियां) स्वीकृत की गई हैं और/अथवा वेतन बढ़ाया गया है, जिससे 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार वेतन संशोधन प्रभावित होता है, तो फिटमेंट/वेतन संशोधन के प्रयोजन से ऐसी वेतन वृद्धि और/अथवा बढ़ाए गए वेतन की अनदेखी कर दी जाएगी।

(iii) जब किसी मौजूदा वेतनमान में दो अथवा अधिक परिवर्ती चरणों में वेतन आहरित करने वाले कार्यपालकों को एक ही वेतनमान में रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार शामिल किए गए प्रत्येक दो चरणों के लिए एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।

3. वेतन संशोधन के कार्यान्वयन हेतु वहनीयता (व्यय का वहन) : संशोधित वेतनमानों को इस शर्त के अध्यधीन लागू किया जाएगा कि 12 माह की अवधि के लिए ऐसे संशोधन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त बहिर्गमन सीपीएसई में कार्यपालकों के साथ–साथ गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकीय स्टाफ को शामिल करने पर उस सीपीएसई के वर्ष 2007–08 के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में 20% से अधिक की गिरावट नहीं होनी चाहिए। ऐसे सीपीएसई, जो पूरे पैकेज को वहन नहीं कर सकते हैं, वे इसका कार्यान्वयन या तो आंशिक पीआरपी अथवा

पीआरपी के बिना कर सकते हैं। ऐसे सीपीएसई पूरे पैकेज का भुगतान बाद में कर सकते हैं बशर्ते कि कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में हुई कमी मूल स्तर पर आ जाए अर्थात उसकी भरपाई कर ली जाए।

4. ऐसे सीपीएसई जो संशोधित वेतनमानों (01.01.2007 से) को अपनाने में सक्षम नहीं हैं, वे अपने प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के अनुमोदन से अपनी वहनीयता के आधार पर 10% अथवा 20% के एक समान निम्नतर फिटमेंट के साथ 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार संशोधन पूर्व वेतनमान में आहरित महंगाई भत्ते और मूल वेतन में वृद्धि कर सकते हैं।

5. वेतन वृद्धिः वार्षिक वेतन वृद्धि संशोधित मूल वेतन के 3% के बराबर होगी। स्टैगनेशन की स्थिति में वेतन वृद्धि और पदोन्नत्ति पर वेतन निर्धारण के लिए वेतन वृद्धि अनुबंध II (क) में दिए अनुसार होगी।

6. महंगाई भत्ताः सभी कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों, जो आईडीए पैटर्न पर आधारित वेतनमान ले रहे हैं, के लिए 01.01.2007 से 100% डीए तटस्थता के सिद्धांत को अपनाया जाएगा। इस प्रकार 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई) के संबद्ध बिंदु के साथ महंगाई भत्ता शून्य 2001=100 हो जाएगा, जो कि 01.01.2007 की स्थिति के अनुसार 126.33 है। इन श्रेणियों के लिए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार समायोजन की अवधि तीन माह होगी। 01.01.2007 से देय तिमाही महंगाई भत्ता अनुबंध II (ख) में दी गई नई डीए योजना के अनुसार होगा।

7. मकान किराया भत्ता : सीपीएसई के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता निम्नानुसार होगा :

जनसंख्या के अनुसार शहर	मकान किराया भत्ता की दरें
50 लाख और उससे अधिक	मूल वेतन का 30 %
5 लाख से 50 लाख तक	मूल वेतन का 20 %
5 लाख से कम	मूल वेतन का 10 %

8. पट्टा युक्त आवास : सीपीएसई का निदेशक मंडल उन कार्यपालकों के स्तर का निर्धारण करे जिन्हें कंपनी द्वारा पट्टे पर आवास दिया जाएगा और इस प्रकार दिए जाने वाले आवास के आकार, प्रकार और मुहल्ला का भी निर्धारण करे। सीटीसी के प्रयोजन से मूल वेतन के 30% को आवास व्यवस्था पर व्यय के रूप में माना जाए।

9. नगर प्रतिपूरक भत्ता : नगर प्रतिपूरक भत्ता को समाप्त माना जाए।

10. अन्य भत्ते/अनुलब्धियां : सीपीएसई का निदेशक मंडल कार्यपालकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए यथा लागू भत्तों और अनुलब्धियों का निर्धारण करेंगे, परंतु इनकी अधिकतम सीमा मूल वेतन के 50% के भीतर होगी। भत्तों का एक निर्धारित सेट लागू करने की बजाय सीपीएसई अपने कार्यपालकों के लिए एक ''कैफेटेरिया पहल'' लागू कर सकते हैं, जिसमें से कार्यपालक अपनी रूचि के अनुसार अनुलब्धियों और भत्तों का चयन कर सकते हैं। ऐसे स्थानों, जहां सीपीएसई ने अस्पताल, महाविद्यालय, विद्यालय, क्लब आदि जैसी अवसंरचना सृजित की है, में अनुलब्धियों और भत्तों की गणना के प्रयोजन से प्रतिस्थापन लागत पर इन

सुविधाओं का मूल्य निर्धारण किया जाना चाहिए। तथापि निम्नलिखित भत्ते मूल वेतन के अधिकतम 50 % की सीमा से बाहर होंगे :

(i) पूर्वोत्तर भत्ता : जो मूल वेतन के 12.5% तक सीमित होगा।

(ii) भूमिगत खानों के लिए भत्ता : जो मूल वेतन के 15% तक सीमित होगा।

(iii) लोक उद्यम विभाग के साथ परामर्श से संबंधित मंत्रालयों द्वारा समय–समय पर यथा अनुमोदित दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने के लिए मूल वेतन के 10% तक विशेष भत्ता।

(iv) चिकित्सा अधिकारियों के लिए नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता : जो मूल वेतन के 25% तक सीमित होगा।

11. चर वेतन/निष्पादन संबद्ध वेतन के निर्धारण के लिए प्रयोजनीयता, मात्रा और प्रक्रिया अनुबंध III में दिए अनुसार होगी।

12. सीपीएसई में दीर्घकालिक प्रोत्साहन, कॉस्ट टू कंपनी (सीटीसी) संकल्पना को लागू करना, सीपीएसई में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर कार्यपालकों का वेतन, सीपीएसई में प्रतिनियुक्ति पर सरकारी अधिकारियों का वेतन और अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति लाभ अनुबंध IV में दिए अनुसार होंगे।

13. उपदान (ग्रैच्यूटी): सीपीएसई के कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के उपदान की सीमा 01.01.2007 से 10 लाख रुपए तक बढ़ा दी जाएगी।

14. कंपनी कार : कंपनी की कार निदेशकों और सीएमडी को उपलब्ध कराई जाएगी। सीपीएसई की परियोजनाओं के प्रमुखों के रूप में कार्यरत कार्यपालक निदेशकों/महाप्रबंधकों को भी कंपनी की कार उपलब्ध कराई जाए। सीटीसी के प्रयोजन से इस प्रकार उपलब्ध कराई गई कार्य पर व्यय को हटा दिया जाना चाहिए।

15. गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकीय स्टाफ के संदर्भ में वेतन संशोधन : गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकीय स्टाफ के लिए वेतनमानों के संशोधन के संबंध में सीपीएसई के लिए संबंधित निदेशक मंडलों द्वारा निर्णय लिया जाए।

16. वित्तीय बाध्यताएं (विवक्षाएं): संबंधित सीपीएसई को वेतन संशोधन के मद में अतिरिक्त वित्तीय बाध्यताओं को अपने संसाधनों से पूरा करना होगा और इसके लिए कोई बजटीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

17. राष्ट्रपति की ओर से निदेश जारी करना, कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि और भत्तों का भुगतान आदि : संशोधित वेतनमानों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रत्येक सीपीएसई के संदर्भ में अलग से राष्ट्रपति की ओर से निदेश जारी किए जाने पर लागू किया जाएगा। संशोधित वेतनमान 01.01.2007 से लागू

होंगे। तथापि संशोधित वेतनमानों पर आधारित मकान किराया भत्ता, अनुलब्धियों और भत्तों का भुगतान राष्ट्रपति की ओर से निदेश जारी किए जाने की तारीख से किया जाएगा। प्रत्येक सीपीएसई के निदेशक मंडल से भुगतान के लिए अपनी वहनीयता के आधार पर वेतन संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करना और अनुमोदन के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को उसे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय अपने वित्तीय सलाहकार की सहमति से राष्ट्रपति की ओर से एक निदेश जारी करेगा। संबंधित सीपीएसई को जारी किए गए राष्ट्रपति जी के निदेश की प्रतिलिपि लोक उद्यम विभाग को भी पृष्ठांकित की जाए।

18. अनुदेश/स्पष्टीकरण जारी करना और विसंगति समिति का प्रावधानः लोक उद्यम विभाग उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन में जहां कहीं भी आवश्यक होगा, आवश्यक अनुदेश/स्पष्टीकरण जारी करेगा। एक विसंगति समिति गठित की जाएगी, जिसमें लोक उद्यम विभाग, व्यय विभाग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव शामिल होंगे, जो ऐसे आगामी विशिष्ट मुद्दों/समस्याओं पर विचार करेगी, जो दूसरी पीआरसी की सिफारिशों के आधार पर सरकार के निर्णयों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न होंगे। निदेशक मंडल के अनुमोदन से किसी भी विसंगति को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को अग्रेषित किया जाना चाहिए, जो इसकी जांच करेगा और मुद्दे का निराकरण करेगा। तथापि, यदि प्रशासनिक मंत्रालय के लिए इस मुद्दे का निराकरण करना संभव नहीं है तो ऐसे मामले को विसंगति समिति के विचारार्थ अपने विचारों के साथ लोक उद्यम विभाग को अग्रेषित किया जाए।

अनुबंध **I**
(पैरा **1**)

सीपीएसई में बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे वाले कार्यपालकों के लिए संशोधित वेतनमान

1	2	3
ग्रेड	मौजूदा	संशोधित
ई0	6550–200–11350	12600–32500
ई1	8600–250–14600	16400–40500
ई2	10750–300–16750	20600–46500
ई3	13000–350–18250	24900–50500
ई4	14500–350–18700	29100–54500
ई5	16000–400–20800	32900–58000
ई6	17500–400–22300	36600–62000
ई7*	18500–450–23900	43200–66000
ई8*	20500–500–26500	51300–73000
ई9*	23750–600–28550	62000–80000

ग्रेड	मौजूदा	संशोधित
निदेशक (डी)	18500–450–23900	43200–66000
सीएमडी (डी)	20500–500–25000	51300–73000
निदेशक (सी)	20500–500–25000	51300–73000
सीएमडी (सी)	22500–600–27300	65000–75000
निदेशक (बी)	22500–600–27300	65000–75000
सीएमडी (बी)	25750–650–30950	75000–90000
निदेशक (ए)	25750–650–30950	75000–90000
सीएमडी (ए)	27750–750–31500	80000–125000

ई7***** केवल अनुसूची ए बी और सी में शामिल सीपीएसई के लिए

ई8***** केवल अनुसूची ए और बी में शामिल सीपीएसई के लिए

ई9***** केवल अनुसूची ए में शामिल सीपीएसई के लिए

अनुबंध **I I** (क)

(पैरा **5**)

(i) स्टैगनेशन वेतनवृद्धि : स्टैगनेशन वेतनवृद्धि की दर संशोधित मूल वेतन के 3% के समतुल्य होगी और कार्यपालकों को संशोधित वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंच जाने पर हर दो वर्ष के पश्चात एक और अधिकतम तीन स्टैगनेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने की अनुमति होगी, बशर्ते कि कार्यपालक को ''अच्छी'' अथवा उससे ऊपर की निष्पादन रेटिंग प्राप्त हो।

(ii) पदोन्नति पर वेतन निर्धारण : ऐसी पदोन्नत्ति से पहले वेतनमान में कार्यपालक द्वारा आहरित की जा रही वेतन वृद्धि के समतुल्य एक नोशनल वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाएगी और पदोन्नत्ति वाले वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जाएगा तथा 10 रूपए की अगले गुणांक के रूप में उसे राउंड ऑफ कर दिया जाएगा।

अनुबंध **I I** (ख)
(पैरा 6)

आईडीए पैटर्न का अनुपालन करने वाले सीपीएसई के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दरें

महंगाई भत्ते की तारीख	महंगाई भत्ते की दर (प्रतिशत में)
1.1.2007	0
1.4.2007	0.8

1.7.2007	1.3
1.10.2007	4.2
1.1.2008	5.8
1.4.2008	6.3
1.7.2008	9.2
1.10.2008	12.9

अनुबंध **III**

(पैरा **11**)

(i) चर वेतन और निष्पादन संबद्ध वेतन (पीआरपी) : पीआरपी को सीपीएसई / यूनिटों के लाभ और कार्यपालकों के निष्पादन से सीधे संबद्ध कर दिया गया है । पीआरपी के प्रतिशत की सीमा कनिष्ठ स्तर से वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों के लिए प्रगतिशील ढ़ंग से बढ़ जाती है, जिसे नीचे दर्शाए अनुसार वेतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है :

ग्रेड	मूल वेतन का प्रतिशत
ग्रेड	मौजूदा
ई0 से ई1	40
ई2 से ई3	40
ई4 से ई5	50
ई6 से ई7	60
ई8 से ई9	70
निदेशक (सी एंड डी)	100
निदेशक (ए एंड बी)	150
सीएमडी (सी एंड डी)	150
सीएमडी (ए एंड बी)	200

गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में पीआरपी का निर्धारण किसी सीपीएसई में संगत निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा ।

तथापि उपर्युक्त पीआरपी निम्नलिखित शर्तों पर आधारित होगी :

क) यदि सीपीएसई ''उत्कृष्ट'' के रूप में समझौता ज्ञापन रेटिंग प्राप्त करता है, तो पीआरपी 100% पात्रता स्तर पर देय होगी । यदि सीपीएसई को ''बहुत अच्छा'' के रूप में समझौता ज्ञापन रेटिंग प्राप्त होती है, तो

पीआरपी मूल वेतन के 80% के रूप में देय होगी । ''अच्छा'' और ''सही'' रेटिंग के संदर्भ में पीआरपी क्रमशः 60% और 40% के पात्रता स्तर पर देय होगी । परन्तु ''खराब'' रेटिंग के मामले में भले ही सीपीएसई ने लाभप्रदता क्यों न दर्शाई हो, कोई पीआरपी देय नहीं होगी ।

ख) पीआरपी भौतिक/वास्तविक और वित्तीय निष्पादन पर आधारित होगी और इसका भुगतान सीपीएसई के लाभ से किया जाएगा । 60% पीआरपी का भुगतान कर पूर्व लाभ (पीबीटी) की 3% की सीमा के साथ और 40% पीआरपी का भुगतान उत्तरोत्तर लाभ के 10% की सीमा के साथ किया जाएगा । उत्तरोत्तर लाभ का आशय गत वर्ष के लाभ की तुलना में इस वर्ष लाभ में हुई वृद्धि से होगा। तथापि कुल पीआरपी वर्ष के कर पूर्व लाभ के 5% तक सीमित होगी। यह सीमा कार्यपालकों के साथ–साथ सीपीएसई के गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए भी लागू होगी। वर्ष के लिए पीआरपी की गणना लेखा परीक्षित लेखाओं के अनुसार सीपीएसई के निष्पादन के आधार पर आगामी वर्ष के अधिकतम दिसंबर तक की जाएगी। प्रस्तावित पीआरपी योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 से शुरू होगी। वर्ष 2007–08 के लिए कोई उत्तरोत्तर लाभ नहीं होगा क्योंकि यह पीआरपी योजना लागू करने का पहला वर्ष होगा। उपर्युक्त के लिए पीआरपी हेतु उपलब्ध राशि वर्ष 2007–08 के लिए कर पूर्व लाभ (पीबीटी) के 3% के समतुल्य होगा। उत्तरोत्तर लाभ की गणना के प्रयोजन से वर्ष 2007–08 आरंभिक वर्ष होगा। पहली बार उत्तरोत्तर लाभ से चर वेतन घटक का निर्धारण वर्ष 2008–09 के लिए सीपीएसई के निष्पादन के परिणाम जानने के पश्चात किया जाएगा। इस प्रकार पीआरपी का यह भाग वर्ष 2009–10 से देय होगा।

(ii) समझौता ज्ञापन (एमओयू) : प्रत्येक सीपीएसई को अपने मूल मंत्रालय/विभाग/ धारक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। एमओयू रेटिंग समझौता ज्ञापन में चिह्नित किए गए सभी प्रमुख परिणाम क्षेत्रों के साथ पीआरपी पर आधारित होगी। ऐसे सीपीएसई के लिए पीआरपी हेतु कोई पात्रता नहीं बनेगी, जो समझौता ज्ञापन नहीं करते हैं।

(iii) निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) : प्रत्येक सीपीएसई द्वारा एक सुदृढ़ और पारदर्शी निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास किया जाएगा। सीपीएसई अधिकारियों की ग्रेडिंग में ''वेल कर्व एप्रोच'' अपनाएंगे, जिससे कि 10% से 15% से अधिक कार्यपालकों को ''उत्कृष्ट'' रेटिंग प्रदान न की जा सके। इसी प्रकार 10% कार्यपालकों को ''पीएआर से नीचे'' ग्रेड दिया जाना चाहिए। कुछ सीपीएसई में पहले से ही पीएमएस उपलब्ध है और अन्य सीपीएसई को पीआरपी के भुगतान की दृष्टि से अपने आप को सक्षम बनाने के लिए एक सुदृढ़ और पारदर्शी पीएमएस तैयार करनी होगी। तथापि ऐसे सीपीएसई जहां अब तक कोई सुदृढ़ और पारदर्शी पीएमएस उपलब्ध नहीं हैं, वे 31.03.2009 तक एक सुदृढ़ और पारदर्शी पीएमएस लागू कर सकते हैं। 1.1.2007 से लेकर पीएमएस लागू करने तक की अवधि, परंतु 31.03.2009 के बाद नहीं, की अवधि के लिए कार्यपालकों के संबंध में पीआरपी पर डीपीई के मौजूदा दिशानिर्देश लागू होंगे, जो किसी उद्यम में वितरण योग्य लाभ के 5% तक सीमित होगा।

(iv) मेहनताना समिति : प्रत्येक सीपीएसई में पेशेवर निदेशक मंडल होगा, जिसमें स्वतंत्र निदेशक भी शामिल होंगे। सीपीएसई को किसी स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक मेहनताना समिति गठित करनी होगी। कोई भी सीपीएसई पीआरपी के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसके निदेशक मंडल में स्वतंत्र

निदेशक शामिल नहीं होंगे। मेहनताना समिति कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के बीच विहित सीमाओं के भीतर वितरण के लिए वार्षिक बोनस/चर वेतन पूल तथा नीति का निर्धारण करेगी।

अनुबंध **IV**
(पैरा **12**)

(i) दीर्घकालिक प्रोत्साहन :

सभी सीपीएसई कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) तैयार करेंगे और ईएसओपी के रूप में पीआरपी के 10% से 25% तक का भुगतान किया जाना चाहिए। यह देखने के प्रयोजन से कि उद्यम ईएसओपी योजना के प्रचालन में सक्षम हैं, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को अपने नियंत्रणाधीन सीपीएसई को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वे स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपने आपको सूचीबद्ध करा सकें।

(ii) सीपीएसई में कॉस्ट–टू कंपनी (सीटीसी) की संकल्पना :

सभी सीपीएसई में कॉस्ट–टू कंपनी (सीटीसी) संकल्पना लागू की जाएगी। कार्यपालकों की प्रतिपूर्ति के बारे में जानकारी देने के प्रयोजन से सीटीसी प्रणाली को अपनाने वाले सीपीएसई द्वारा किसी कार्यपालक की संपूर्ण लागत को विशेष रूप से उजागर किया जाता है। वेतन, भत्तों, परिलब्धियों और सेवा उपरांत लाभ सभी की गणना की जानी चाहिए और सीपीएसई की जनशक्ति लागत रिपोर्ट करते समय उन्हें शामिल किया जाना चाहिए।

(iii) प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर सीपीएसई के कार्यपालकों का वेतन आदि :

ऐसे कार्यपालक, जिन्हें धारक कंपनियों से सहायक कंपनियों में अथवा सहायक कंपनियों से धारक कंपनियों में प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण आधार पर लाया जाता है, वे मूल कंपनी में आहरित अपना मूल वेतन आगे भी आहरित करते रहेंगे। तथापि वे ग्राही (लेने वाल) सीपीएसई के लिए यथालागू भत्ते और चर वेतन/निष्पादन संबद्ध वेतन आहरित करने के लिए पात्र होंगे।

(iv) सीपीएसई में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले सरकारी अधिकारियों का वेतन आदि :

ऐसे सरकारी अधिकारी, जो किसी सीपीएसई में प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, वे अपने मूल विभाग में पात्रता के अनुसार वेतन आहरित करते रहेंगे। केवल ऐसे अधिकारी, जो स्थायी रूप से आमेलन आधार पर किसी सीपीएसई में आते हैं, उन्हें सीपीएसई के वेतनमान, अनुलब्धियां और लाभ प्राप्त होंगे।

(v) अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति लाभ :

सीपीएसई को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में मूल वेतन के 30% की अनुमति होगी, जिसमें अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ), उपदान (ग्रेच्युटी), पेंशन और सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ शामिल हो सकते हैं। सीपीएसई को इन निधियों के प्रबंधन के लिए या तो अपनी स्वयं की योजनाएं बनानी चाहिए अथवा निर्धारित अंशदान आधार पर बीमा कंपनियों के जरिए इनका प्रचालन करना चाहिए। पेंशन, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ की राशि का निर्धारण प्रचालित की जाने वाली योजनाओं से प्राप्त होनेवाले लाभ के

आधार पर किया जाएगा। पेंशन और चिकित्सा लाभ ऐसे कार्यपालकों को दिए जा सकते हैं, जो सीपीएसई से अधिवर्षिता की आयु पूरा करने पर सेवानिवृत्त होते हैं और जिन्होंने अपनी सेवानिृत्ति से पहले उस सीपीएसई में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी की होती है।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 2 (70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी), दिनांक 26 नवंबर 2008)

*****